राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय से पंचम तल, ब्लॉक–5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फोन नं: 0141–2709114 email : cmsmsa2018@gmail.com फैक्स: 0141–2701822

क्रमांक : रास्कूशिप / जय / सामु.गति. / जिलास्तरीय / दिशा–निर्देश / 2024–25 / 1372 दिनांक : 5/6/2024

दिशा निर्देश
(सत्र 2024–25)
जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला

प्रस्तावना :–

राज्य के समस्त जिलों के विद्यालय प्रबंधन समितियों (SMC) / विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) का सशक्तीकरण करने एवं समुदाय को जागरूक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी जिला स्तरीय अधिकारियों, स्थानीय प्राधिकारियों / जनप्रतिनिधियों एवं एसएमसी / एसडीएमसी के अध्यक्षों को सामुदायिक गतिशीलता के उद्देश्य, महत्व एवं चुनौतियों के बारे में अवगत कराया जाये। इसके अतिरिक्त इनमें से अधिकतर जिला स्तरीय अधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी / जनप्रतिनिधि एवं एसएमसी के अध्यक्ष समुदाय से घनिष्ठ सम्पर्क रखते हैं। वे उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं के बारे में काफी ज्ञान रखते हैं। ऐसे अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि कार्यशाला में समुदाय को गतिशील बनाने की विधियों को और अधिक परिष्कृत करने में महत्वपूर्ण सुझाव एवं विचार दे सकते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के Task No. 198 अनुसार Social Issue and Stigmas पर प्रधानाचार्य, परामर्शदाता और विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाये जिससे शिक्षा की मुख्य धारा से अलग–थलग एवं वंचित वर्ग को मुख्य धारा में शामिल किया जाये।

जिलों में स्थानीय परिस्थितियों के कारण उत्पन्न विशिष्ट चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जिला स्तरीय अधिकारियों, स्थानीय प्राधिकारियों / जनप्रतिनिधियों एवं एसएमसी के अध्यक्षों का क्षमता विकास करना इन जिलों में समुदाय की सहभागिता बढ़ाने में अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है।

समग्र शिक्षा अन्तर्गत समुदाय की सक्रिय सहभागिता प्राप्त करने हेतु वर्ष 2024–25 में समग्र शिक्षा के सामुदायिक गतिशीलता हेतु प्रावधित बजट से जिला स्तरीय अधिकारियों, स्थानीय प्राधिकारियों / जन प्रतिनिधियों एवं एसएमसी / एसडीएमसी अध्यक्षों के साथ जिला स्तर

RajKaj Ref
7551573

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 20:25:50 IST
Reason: Approved

पर एक **दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला** का प्रावधान रखा गया है। **उक्त जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन माह अक्टूबर, 2024 के प्रथम सप्ताह तक सम्पन्न कराया जाना है।** जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला 100 संभागियों के लिए है। **प्रति संभागी यूनिट कॉस्ट ₹ 316.7878/- अर्थात 100 संभागियों के लिए ₹ 31678.78/- तक व्यय का प्रावधान रखा गया है।**

<u>कार्यशाला में भाग लेने वाले संभागी –</u>

- ✓ चुने हुए जन प्रतिनिधि यथा जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, जिला परिषद के सदस्य, नगर पालिका/परिषद/निगम के सभापति/आयुक्त/महापौर एवं पार्षद आदि संभागी होंगे। जिला स्तरीय अधिकारी यथा जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक एवं अन्य अधिकारी समग्र शिक्षा, उपनिदेशक, समेकित बाल विकास परियोजना, सहायक/उपनिदेशक, महिला अधिकारिता, जिला श्रम अधिकारी, जिला मुख्यालय के विद्यालयों के संस्था प्रधान रा.प्रा.वि., रा.उ.प्रा.वि., रा.उ.मा.वि., एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष आदि।
- ✓ इसके अलावा यदि संभागियों की संख्या 100 तक पूरी नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में कुछ अन्य ऐसे जिला स्तरीय अधिकारियों को भी कार्यशाला में आमंत्रित किया जा सकता है जो कि शिक्षा में प्रत्यक्ष/परोक्ष योगदान दे सकते है।

क्रसं.	विवरण	जिला स्तर पर 100 संभागियों हेतु व्यय प्रावधान
1.	भोजन 220/– प्रति सम्भागी की दर से	22000
2	जलपान (चाय–नाशता) 30/–रूपये प्रति व्यक्ति	3000
3.	स्टेशनरी 25 रूपये प्रति व्यक्ति	2500
4.	संदर्भ व्यक्ति मानदेय 2 संदर्भ व्यक्तियों के लिए 400/ परियोजना कार्मिक के अतिरिक्त अन्य विशेषज्ञ को आमंत्रित करने पर	800
5.	विडियोग्राफी/फोटोग्राफी/प्रतिवेदन/रिपोर्टिंग	700
6.	कार्यक्रम की व्यवस्था पर होने वाले अन्य विविध व्यय	2678.78
	योग	**31678.78**

RajKaj Ref
7551573

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 20:25:50 IST
Reason: Approved

नोट– जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन माह अक्टूबर, 2024 के प्रथम सप्ताह तक सम्पन्न कराकर नवम्बर माह में प्रबन्ध पोर्टल पर प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित करें।

<u>लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :–</u>

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है, व्यय उसी मद में ही किया जाये।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. राशि का उपयोग योजना के दिशा–निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(सुरेश कुमार बुनकर)
अति. राज्य परियोजना निदेशक–द्वितीय

क्रमांक : रास्कूशिप / जय / सामु.गति. / जिला स्तरीय / दिशा–निर्देश / 2024–25 / 1372 दिनांक : 5/6/2024

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
9. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त जिला।
10. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिला।
11. रक्षित पत्रावली।

अति. राज्य परियोजना निदेशक–द्वितीय

RajKaj Ref
7551573

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 20:25:50 IST
Reason: Approved

District Level Awareness
Year 2024-25

परिशिष्ट– 1

S.N	District	33 District Level Awareness Year 2024-25 @ 0.31678/- Lakh Per District	
		Target	
		Phy.	Fin. (in lakhs)
1	Ajmer	1	0.31679
2	Alwar	1	0.31679
3	Banswara	1	0.31679
4	Baran	1	0.31679
5	Barmer	1	0.31679
6	Bharatpur	1	0.31679
7	Bhilwara	1	0.31679
8	Bikaner	1	0.31679
9	Bundi	1	0.31679
10	Chittaurgarh	1	0.31679
11	Churu	1	0.31679
12	Dausa	1	0.31679
13	Dhaulpur	1	0.31679
14	Dungarpur	1	0.31679
15	Ganganagar	1	0.31679
16	Hanumangarh	1	0.31679
17	Jaipur	1	0.31679
18	Jaisalmer	1	0.31678
19	Jalor	1	0.31678
20	Jhalawar	1	0.31679
21	Jhunjhunu	1	0.31678
22	Jodhpur	1	0.31678
23	karauli	1	0.31678
24	Kota	1	0.31678
25	Nagaur	1	0.31679
26	Pali	1	0.31679
27	Pratapgarh	1	0.31679
28	Rajsamand	1	0.31679
29	Sawi Madhopur	1	0.31679
30	Sikar	1	0.31679
31	Sirohi	1	0.31679
32	Tonk	1	0.31678
33	Udaipur	1	0.31679
	Total	33	10.454

RajKaj Ref
7551573

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 20:25:50 IST
Reason: Approved